



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बागपत

दिनांक 18.08.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 695 धारा 303(2) BNS का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी की हुई 02 ट्रैक्टर की ट्राली बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

1-दिनांक 15.08.24 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी मोहित पुत्र बलजोर निवासी ग्राम फैजपुर निनाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात चोरों द्वारा उसकी 02 ट्रैक्टर की ट्राली चोरी कर ली गयी है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बागपत पर मु0अ0सं0 695/24 धारा 303(2) BNS पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस

द्वारा मु0अ0सं0 695/24 धारा 303(2) BNS का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी की हुई 02 ट्रैक्टर की ट्राली बरामद हुई हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बागपत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-इकराम पुत्र अलीहसन निवासी राजाखेडी थाना किला पानीपत हरियाणा।
- 2-अरशद पुत्र नूरहसन निवासी ग्राम कोताना थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 01 ट्रैक्टर की ट्राली (सम्बन्धित मु०अ०सं० 695/24 धारा 303(2) BNS थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत)
- 01 अन्य ट्रैक्टर की ट्राली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री निकलेश रस्तोगी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-का० 60 सन्दीप कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3-का० 556 इलियास थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 18.08.2024

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से 40 पाउच अबैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 40 पाउच अबैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग 254/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

सोनू उर्फ विजय पुत्र पवन निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 40 पाउच अबैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री धीरज सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2.उ0नि0 श्री नरेशपाल सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत ।
3. का0 607 कपिल कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बड़ौत

दिनांक 18.08.2024

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 534/24 धारा 331(4)/305A बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किये हुये 07 मोशपेट तथा घटना में प्रयुक्त 01 गाड़ी वैगन-आर नं0 UP-17-BT-3073 व 02 नम्बर प्लेट बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.08.2024 को थाना बड़ौत पर वादी सचिन पुत्र महीपाल निवासी नेहरू रोड कस्बा बड़ौत थाना बड़ौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि दिनांक 10.08.2024-11-08-2024 की रात्रि में किसी अज्ञात चोरों ने वादी के डीजे के गोदाम का ताला तोडकर 02 एटीआई प्रो 40 , 02 एटीआई प्रो 20 , 02 एमटी एटीआई प्रो , 02 सीए 20 एटीआई प्रो , 02 सीए 18 एटीआई प्रो (कुल 10 मोशपेट) चोरी कर लिये हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 534/24 धारा 331(4)/305a बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 534/24 धारा 331(4)/305a बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 07 मोशपेट तथा घटना में प्रयुक्त 01 गाड़ी वैगन-आर नं0 UP-17-BT-3073 व 02 नम्बर प्लेट बरामद हुई हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-सुरेश पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम टटीरी थाना व जनपद बागपत हालपता ग्राम छपरौला गौतमबुद्धनगर।
- 2.बब्लू पुत्र लाखन निवासी ग्राम दरियापुर थाना जवां जनपद अलीगढ हालपता ग्राम अछैजा थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर।
- 3-समीम पुत्र सलीम निवासी पट्टी कमलानगर गुराना रोड कस्बा बड़ौत थाना बड़ौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किये हुये 07 मोशपेट।
- घटना में प्रयुक्त 01 गाड़ी वैगन-आर नं0 UP-17-BT-3073 व 02 नम्बर प्लेट।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री संजय सिंह पूनिया थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 यूटी श्री मयंक प्रताप सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 3-है0का0 542 अशोक कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 4-का0 621 प्रदीप कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 5-का0 468 आबिद थाना बड़ौत जनपद बागपत।

6-का0 970 रोहित अत्री थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 18.08.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान पशु क्रूरता अधिनियम में 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से पशु तस्करी में प्रयुक्त 01 गाडी महिन्द्रा पिकअप नं0 HR-69F-9539, जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 07 पशु बरामद ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से पशु तस्करी में प्रयुक्त 01 गाडी महिन्द्रा पिकअप नं0 HR-69F-9539 जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 07 पशु बरामद हुए हैं।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-दिलशाद पुत्र जमशेद निवासी कोर्ट रोड करबा बागपत थाना कोतवाली बागपत।
- 2-वसीम पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी मौहल्ला कुरैशियान करबा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3-जमील पुत्र साबू निवासी मौहल्ला कुरैशियान करबा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 4-नफीस पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी मौहल्ला कुरैशियान करबा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण –

- कुल 07 पशु।
- पशु तस्करी में प्रयुक्त 01 गाडी महिन्द्रा पिकअप नं0 HR69F9539

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 यूटी श्री सुरेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-पीआरडी 3010 कृष्णपाल थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3-चालक का0 हरेन्द गावर पुलिस लाइन्स जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बालैनी

दिनाँक – 18.08.2024

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 128/24 धारा 305(a) BNS का सफल अनावरण करते हुये 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किये हुए रुपयों में से 1500 रुपये नगद बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.08.24 को थाना बालैनी पर वादी जोनी उर्फ लोकेश पुत्र कुवरपाल निवासी ग्राम अमीपुर बालैनी थाना बालैनी जनपद बागपत ने सूचना दी की अज्ञात चोरों द्वारा वादी की दुकान के गल्ले से करीब 3000 रुपये व 01 मोबाईल फोन चोरी कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में



प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 128/24 धारा 305(a) BNS पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 128/24 धारा 305(a) BNS का सफल अनावरण करते हुये 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी किये हुए रूपयों में से 1500 रुपये नगद बरामद हुए हैं एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) BNS की वृद्धि की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-अनिल पुत्र विजयसिंह निवासी ग्राम पबरसा थाना दौराला जनपद मेरठ।
- 2-सुमित उर्फ गोलू पुत्र नरेश निवासी ग्राम निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त अनिल का आपराधिक इतिहास:-

- 1-मु0अ0सं0 0121/2011 थाना हस्तिनापुर जनपद मेरठ ।
- 2.मु0अ0सं0 04/2015 धारा 307 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट थाना हस्तिनापुर जनपद मेरठ ।
- 3.मु0अ0सं0 87/2014 धारा 394/544 भादवि थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ ।
- 4.मु0अ0सं0 40/2014 धारा 323/504/506/452 भादवि थाना दौराला जनपद मेरठ ।
- 5.मु0अ0सं0 158/2011 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना परीक्षितगढ जनपद मेरठ ।
- 6.मु0अ0सं0 6164/2011 धारा 411/414/420/467/468/471 भादवि ,102/141 द0प्र0सं0 207 मोटरयान अधि0 1988 थाना परीक्षितगढ जनपद मेरठ ।
- 7.मु0अ0सं0 715/2008 थाना दौराला जनपद मेरठ ।
- 8.मु0अ0सं0 716/2008 थाना दौराला जनपद मेरठ ।
- 9.मु0अ0सं0 710/2008 थाना दौराला जनपद मेरठ ।
- 10.मु0अ0सं0 0876/2008 थाना दौराला जनपद मेरठ ।
- 11.मु0अ0सं0 477/2008 थाना दौराला जनपद मेरठ ।
- 12.मु0अ0सं0 128/24 धारा 305(a)/317(2) BNS थाना बालैनी जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किये हुए रूपयों में से 1500 रूपये नगद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री मुकेश कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2-का0 809 शिवकुमार सोलंकी थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 3-का0 884 सर्जन सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।